संख्या 35034/3/2008-स्था.(घ)(खण्ड-II)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
स्थापना(घ)

* * *

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली ।
दिनांक: 1 नवंबर, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकार सिविलियन कर्मचारियों के लिए संशोधित सुनिश्चित करिअर उन्नयन योजना के स्पष्टीकरण के बारे में ।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 3.5.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/1/2010-जेसीए के द्वारा संशोधित सुनिश्चित करिअर उन्नयन योजना से संबंधित विसंगतियों की जांच-पड़ताल करने के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है ।

2. संयुक्त समिति की बैठक के दौरान कर्मचारी पक्ष द्वारा यह इंगित किया गया था कि दिनांक 19.05.2009 की संशोधित सुनिश्चित करिअर उन्नयन योजना के अनुबंध-I के पैरा 24 की अन्तिम लाइन के शब्द 'नया संगठन' योजना के भाव के अनुरूप नहीं था । मुद्दे की जांच-पड़ताल की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थानांतरण, जिसमें अनुरोध पर आधारित एकपक्षीय स्थानांतरण शामिल है, के मामले में पूर्व संगठन/कार्यालय में की गई नियमित सेवा की गणना संशोधित सुनिश्चित करिअर योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन प्राप्त करने के लिए नए संगठन/कार्यालय की नियमित सेवा के साथ की जाएगी, तथापि संशोधित सुनिश्चित करिअर उन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन संशोधित वेतन बैंड जैसा कि केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 2008 में दिया गया है; के पदानुक्रम में तत्काल अगले उच्चतर ग्रेड वेतन में अनुमत्य होगी । संशोधित सुनिश्चित करिअर उन्नयन योजना का पैरा 24 इस सीमा तक संशोधित किया जाता है ।

3. जैसा कि संशोधित सुनिश्चित करिअर उन्नयन योजना, दिनांक 19.5.2009 के पैरा 17 में दिया गया है, कर्मचारी पक्ष ने संशोधित सुनिश्चित करिअर उन्नयन योजना के लिए बेंचमार्क पर भी मुद्दा उठाया है जिसमें प्रावधान है कि वेतनबैंड 1 के भीतर ग्रेड वेतन के पदानुक्रम में उपयुक्तता के अध्यधीन वित्तीय अपग्रेडेशन गैर कार्यात्मक आधार

पर होगा । इसके बाद संशोधित सुनिश्चित करिअर उन्नयन योजना के अंतर्गत अपग्रेडेशन के लिए 'अच्छा' बेंचमार्क वेतनबैंड-3 में ग्रेड वेतन ₹ 6600/- तक लागू होगा । 'बहुत अच्छा' बेंचमार्क ₹ 7600/- और उसके ऊपर के ग्रेड वेतन के वित्तीय उन्नयन हेतु होगा । यह भी इंगित किया गया कि कुछ मामलों में अगले उच्चतर ग्रेड की पदोन्नति 'फिटनेस' के आधार पर की गई क्योंकि संगत भर्ती नियमों में यथाविनिर्दिष्ट पदोन्नति का तरीका 'नान-सैलेक्शन' था । इसलिए ऐसे मामलों में, संशोधित सुनिश्चित करिअर उन्नयन योजना के अंतर्गत बेंचमार्क पर बल नहीं दिया जाना चाहिए । मुद्दे की जांच की गई है और यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां संशोधित सुनिश्चित करिअर उन्नयन योजना के अंतर्गत वित्तीय अपग्रेडेशन पदोन्नति ग्रेड में भी होता है और पदोन्नति हेतु बेंचमार्क संशोधित सुनिश्चित करिअर उन्नयन योजना के अंतर्गत लाभ लेने के बेंचमार्क से कम हो तो पैरा 17 में उल्लिखित पदोन्नति हेतु बेंचमार्क संशोधित सुनिश्चित करिअर उन्नयन योजना पर भी लागू होगा ।

4. सभी मंत्रालय/विभाग सामान्य मार्गदर्शन और इस मामले में उचित कार्रवाई के लिए इस कार्यालय ज्ञापन की सामग्री का भरपूर परिचालन करें ।

(स्मिता कुमार)
निदेशक (स्थापना-I)
दूरभाष नं. : 23092479

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि -

1. राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधान मंत्री कार्यालय/उच्चतम न्यायालय/राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/संघ लोक सेवा आयोग/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/सी. एंड ए.जी./केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (प्रधान न्यायपीठ) नई दिल्ली ।
2. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधीनस्थ/सम्बद्ध कार्यालय ।
3. सचिव, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ।
4. सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ।
5. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।

6. राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।

7. व्यय विभाग (कार्यान्वयन सेल)

8. रेल मंत्रालय

9. सूचना सुविधा केन्द्र, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (20 प्रतियां)

10. एन.आई.सी. (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) को कार्यालय ज्ञापन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर डालने हेतु ।

11. स्थापना(घ) अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (100 प्रतियां)